

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION



सारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्तनिर्धारित किंगे गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No. : 157113041019124511  
Date : 04-10-2019  
प्रभागी : 3 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री MALTI DEVI W/O SANT KUMAR GUPTA ,  
मोहल्ला PANDARPALA DHANBAD DHANBAD , 9835568136  
DHANBAD . 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका तथा गृह सं. - 0180000023000M0 वाडे सं. 18 हुआ है, आपके ल्प. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	81.00
2.	जल कर	0.00
3.	शींचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		81.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [www.jharkhandsuda.net](http://www.jharkhandsuda.net) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा।  
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट सजायावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

*Malti Devi*